निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 90 / 21 दावा
दायरा दिनांकः—28.10.2021
निर्णय दिनांकः— 02·04·24

उनवान

1. किशनलाल आयु 70 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति मीना निवासी ग्राम भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

................वादी

बनाम

1. श्यामलाल आयु 56 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम भूलोन
2. रंगलाल आयु 54 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम भूलोन
3. राधेश्याम आयु 52 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम भूलोन
4. सीताराम आयु 40 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम भूलोन
5. प्रहलाद आयु 45 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम भूलोन
6. रामपति बाई आयु 58 वर्ष पुत्री गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम भूलोन
7. मुकुट बाई आयु 42 वर्ष पुत्री गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम भूलोन
8. हरबाई आयु 75 वर्ष पत्नि स्व0 गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

.............प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,90,91,91ए व 188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 02 · 4 · 24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भवरसिंह जदौन — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 53 ,88 ,89, 90, 91, 91ए व 188 आर.टी.ए विरूद्ध वादी के पिता तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 के दादा एवं प्रतिवादी क्रम 8 के ससुर अमरलाल के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैत्रक भूमि सवत् 2010 से 2017 के खाता संख्या 29 की खसरा नम्बर 161 की रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा खस[illegible] 163 की रकबा [illegible] बीघा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 415 की रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा ख[illegible] 417 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 4 की रकबा [illegible] माल भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में [illegible] 2010 से [illegible]वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादी [illegible] क्रम 1 ता 7 के [illegible] एवं प्रतिवादी क्रम 8 के ससुर अमरलाल के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैत्रक भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:38:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जमाबन्दी सवत् 2010 से 2017 के खाता संख्या 6 की खसरा नम्बर 331 की रकबा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 336 की रकबा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 338 की रकबा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 339 की रकबा 14 बिस्वा कुल किता 4 की रकबा 01 बिघा 03 बिस्वा भूमि वाके माल भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि का आवटंन वादी के पिता अमरलाल तथा प्रतिवादी 6म 1 ता 7 के दादा व प्रतिवादी क्रम 8 के ससुर के जीवनकाल में हुआ था। जिसका आवटंन वादी के पिता द्वारा वादी तथा उसका भाई लक्ष्मण नाबालिग होने के कारण अपने बडे पुत्र गंगाराम जो (जो प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 के पिता एवं प्रतिवादी क्रम 8 के पति थे) के नाम आवटंन करवा दिया तथा उस खाते में वादी के पिता के मृत्यु के पश्चात् भी वादी के बडे भाई गंगाराम का नाम दर्ज रहा तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 का नाम दर्ज हो गया। जबकि वाद पत्र की मद संख्या 2 में उक्त वर्णित भूमि वादी तथा उसके भाई लक्ष्मण तथा प्रतिवादीगण के पिता/पति गंगाराम का नाम दर्ज हो गया था, तथा प्रतिवादीगण के पिता/पति की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है। वादी के पिता अमरलाल की मृत्यु के पश्चात् वादी तथा उसके भाई लक्ष्मण तथा गंगाराम संयुक्त रूप से बिना किसी बांध व व्यवधान के शांति पूर्वक वाद पत्र की मद संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि के अपने – अपने हिस्से 1/3–1/3 पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है इस कारण वादी का उक्त विवादित आराजीयात में अपने हिस्से 1/3 भाग को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाकर अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है, जिसका कि वादी को पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है।

वादी के बडे भाई लक्ष्मण ने वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के खसरा संख्या 161 की रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा मे से रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा खसरा नम्बर 162 कर रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा में से 1 बीघा 08 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 415 की रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा अपने हिस्से 1/3 भाग को प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 7 के पिता व प्रतिवादी क्रम 8 के पति गंगाराम से बिना प्रतिफल राशि अदा किये जर्ये विक्रय पत्र अपने हिस्से को अलग–अलग करवा लिया परन्तु वादी आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपने हिस्से 1/3 भाग की भूमि को जर्ये विक्रय पत्र अपने नाम दर्ज नही करा सका। वादी के पिता तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 के दादा व प्रतिवादी क्रम के ससुर की भूमि जो कि वादी के भाई व प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 के पिता तथा प्रतिवादी क्रम 8 के पति गंगाराम के नाम दर्ज भूमि में से वादी के बडे भाई लक्ष्मण द्वारा अपने हिस्से 1/3 भाग को जर्ये विक्रय पत्र पृथक खाते दर्ज किये जाने के पश्चात् वर्तमान में उक्त भूमि खाता संख्या 179 की खसरा नम्बर 160 की रकबा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 162 कर रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 415 की रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 416/1 की रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 417 की रकबा 02 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 05 की रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा भूमि वाके माल भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में दर्ज रह गई है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 का हिस्सा 1/2 का है। वादी अपने हिस्से 1/2 को उपरोक्त अनुसार कराकर अपने खाते पृथक दर्ज कराना चाहते है। जिसका वादी वैधानिक अधिकारी है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 का नाम खातेदारी में दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण वादी को जिस हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:38:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

2017 के खाता संख्या 29 की खसरा नम्बर 161 की रकबा 1 बीघा 19

भूमि पर वह काबिज है जिस पर वह शांति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है उस पर प्रतिवादीगण अवैध रूप से बाधां व व्यवधान उत्पन्न कर वादी को शांतिपूर्वक कब्जे काश्त नही करने दे रहे है और जबरन बलपूर्वक वादी के हिस्से की भूमि को छुडाना चाहते है इसलिए वादी वाद पत्र की मद संख्या 7 में वर्णित आराजी में अपने हिस्से 1/2 भाग पर अपने शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधां उत्पन्न न करने बाबत् प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का वैधानिक अधिकारी है। वादी विवादित आराजी में अपने हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण के पिता स्वर्गीय गंगाराम के जीवनलकाल से वह 25–30 वर्षो से अधिक समय निरन्तर वादी शांतिपूर्वक आपसी बटंवारे से कब्जा काश्त होने से वादी को वाद पत्र की मद संख्या 7 में वर्णित भूमि में अपने हिस्से 1/2 भाग पर खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके है। वादी विवादित भूमि में हिस्से 1/2 भाग जो प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज है से वादी अपने नाम दर्ज कराने का वैधानिक अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 30.09.2021 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 ने वाद पत्र की मद संख्या में वर्णित भूमि के वादी को उसके हिस्से 1/2 भाग की भूमि के शांतिपूर्वक कबजा काश्त में बाधां उत्पन्न करने व उसे काश्त नही करने देने पर उत्पन्न हुआ है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 12.04.2021 को एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामान्तरण सं0 3 ग्राम भूलोन नकल नामान्तरण सं0 89 ग्राम भूलोन नकल नामान्तरण सं0 468 ग्राम भूलोन नकल नामान्तरण सं0 469 दिनांक 02.12.2004 नकल नामान्तरण सं0 694 ग्राम भूलोन नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2014–17 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2014–17 नकल जमाबन्दी ग्राम भुलोन सम्वत् 2017–20 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2017–20 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2021–2024 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2021–24 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2025 –28 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2025–28 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2029–32 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2029–32 खाता संख्या 3 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत्2037–40 खाता संख्या 25 नकल जमाबन्दी ग्राम समवत् 2037–40 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2042–45 खाता संख्या 21 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत्2042–45 खाता संख्या 24 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2046–49 खाता संख्या 23 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 204[illegible] खाता संख्या 26 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2050–53 खाता संख्या 26 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत 2050–53 खाता संख्या 24 पेश की गई। नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत 2074–77 खाता संख्या 179 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत 2074–77 खाता संख्या 180 पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 किशनलाल PW2 रामचरण PW3 हीरालाल के बयान कराये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:38:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक वादी एक तरफ सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भूलोन तहसील छबडा में स्थित है जो वादी के पिता खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैत्रक भूमि है वादी के पिता द्वारा वादी व उसका भाई लक्ष्मण नाबा0 होने के कारण अपने बडे पुत्र गंगाराम के नाम आवटंन करवा दिया गंगाराम की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 का नाम दर्ज हो गया जबकि उक्त वर्णित भूमि वादी तथा उसके भाई लक्ष्मण तथाप्रतिवादी के पिता/पति गंगाराम का नाम दर्ज हो गया था। गंगाराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो गया। वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी व उसके भाई लक्ष्मण व गंगाराम संयुक्त रूप से अपने–अपने हिस्सा 1/3, 1/3 पर काश्त करते चले आ रहे है वादी अपने हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवा कर अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है, वादी के बडे भाई लक्ष्मण ने अपने हिस्सा 1/3 गंगाराम से बिना प्रतिफल राशि अदा किये जर्ये रजिस्टार विक्रय पत्र अपने हिस्से को अलग–अलग करवा लिया वादी आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपने हिस्से 1/3 की भूमि का जर्ये रजिस्टार विक्रय पत्र अपने नाम दर्ज नही करा सका। लक्ष्मण को 1/3 हिस्सा गंगाराम द्वारा दिये जाने के बाद शेष 9.02 बीघा भूमि में वादी अपने हिस्सा 1/2 को दर्ज कराने का अधिकारी है वादी अपने हिस्से की भूमि पर 25–30 साल से अधिक समय से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त करता चला आ रहा है वादी को 1/2 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 3 ग्राम भुलोन के अनुसार विवादित आराजी नामान्तरण सं0 86 एवं नामान्तरण 99 से अमरलाल के पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज होने से नामान्तरण खारिज होना पाया जाता है नकल नामान्तरण संख्या 89 ग्राम भूलोन खसरा नम्बर 160 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 816 रकबा 1.07 बीघा गंगाराम पुत्र अमरलाल भील को नियमन सन् 1968–1969 में होना दर्ज रिकार्ड है प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 468 ग्राम भूलोन के अनुसार गंगाराम पुत्र अमरलाल द्वारा खसरा नम्बर 162/1 रकबा 1.10 बीघा खसरा नम्बर 415/1 रकबा 1.00 बीघा कुल 2.10 बीघा भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से लक्ष्मण को बेचान करने पर नामान्तरण दर्ज होना पाया जाता है नकल नामान्तरण संख्या 469 लक्ष्मण के फोत होने पर उनके वारिसान के नाम फोती नामान्तरण दर्ज होना पाया जाता है नकल नामान्तरण संख्या 694 गंगाराम के फोत होने के कारण उसके वारिसान के नाम फोती नामान्तरण दर्ज किया गया। इससे यह साबित होता है कि [illegible] आराजी प्रतिवादीगण के पिता गंगाराम को आवटंन नियमन होने [illegible] खातेदारी में दर्ज है विवादित आराजी अमरलाल के खातेदारी में कभी [illegible] नही रही है वादी भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है लक्ष्मण द्वारा गंगाराम से भूमि क्रय की गई। नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 201[illegible]17 में गंगाराम बेटा अमरलाल का नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2017–20, 2021–24, 2025–28, सम्वत् 2029–32, सम्वत् 2037–40 सम्वत् 2042–45 सम्वत् 2046–49 सम्वत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:38:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

C:\Users\Lenovo\Desktop\firoj all letter folder\Rambabu ji fesla file.docx

2050—53 सम्वत् 2074—77 में प्रतिवादीगण के पिता गंगाराम का नाम दर्ज है उनके मरने के बाद प्रतिवादीगण का नाम दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी गंगाराम के खातेदारी की थी उनके फोत होने के बाद प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई वादी उक्त भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2014—17 में अंकित खसरा नम्बर 4 किता रकबा 1.03 बीघा भूमि अमरलाल पुत्र मोतीलाल जाति मीना के नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2017—20 सम्वत् 2021—24 सम्वत् 2025—28 सम्वत् 2029—32 सम्वत् 2037—40 में अमरलाल पुत्र मोतीलाल का नाम दर्ज है इससे यह साबित होता है कि अमरलाल के नाम कुल 1.03 बीघा भूमि खातेदारी में थी जसमें वादी का 1/3 हिस्सा निहित है नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2042—45 सम्वत् 2046—49 सम्वत् 2050—53 सम्वत् 2074—77 में वादी किशनलाल पुत्र अमरलाल हिस्सा 1/3 गंगाराम के वारिसान प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/3 एवं लक्ष्मण के वारिसान का हिस्सा 1/3 दर्ज है वादी का मात्र 1.03 बीघा में हिस्सा 1/3 दर्ज है इससे अधिक भूमि प्राप्त करने का वादी को कोई अधिकार नही है अमरलाल के नाम मात्र 1.03 बीघा भूमि ही खातेदारी में दर्ज थी गंगाराम को 11.12 बीघा भूमि आवटंन/नियमन की गई थी उसमें वादी हिस्सा प्राप्त नही कर सकता है वादी का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:38:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 90/21	धारा 53, 88,89,90,91,91ए,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 02.4.24
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री भँवरसिंह जादौन–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री	

वाद शीर्षक

1. किशनलाल आयु 70 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति मीना निवासी ग्राम भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

................वादी

बनाम

1. श्यामलाल आयु 56 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम भूलोन
2. रंगलाल आयु 54 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम भूलोन
3. राधेश्याम आयु 52 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम भूलोन
4. सीताराम आयु 40 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम भूलोन
5. प्रहलाद आयु 45 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम भूलोन
6. रामपति बाई आयु 58 वर्ष पुत्री गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम भूलोन
7. मुकुट बाई आयु 42 वर्ष पुत्री गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम भूलोन
8. हरबाई आयु 75 वर्ष पत्नि स्व0 गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है

साथ ही नियमानुसार........................ रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 02.4.24 ....को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:38:38 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		